

✓/C
202-2011

प्रति आवश्यक
सुनिश्चित कीजिए।
अधिकारी का नाम
प्रेषक

क्रमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0

ALC(A) M/s
22-2-2011 सेवा में

- D.S.E
Circulate to all
DDO's at Field &
- 1 सभी विभागाध्यक्ष, हरियाणा ।
2 आयुक्त अम्बाला, हिसार, गुडगाँव तथा रोहतक मण्डल ।
3 रजिस्ट्रार, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ़ ।
4 सभी जिला एवं सत्र न्यायधीश, हरियाणा ।
5 सभी उपायुक्त एवं उपमण्डल अधिकारी (नागरिक), हरियाणा ।

दिनांक, चण्डीगढ़ 16 फरवरी, 2017

Hd
PK
23/2

विषय:-

अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में नियुक्ति होने पर नई सामूहिक बीमा योजना-1985 के अन्तर्गत फार्म-1 में तथा उनके एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में आने पर/नियमित पदोन्नति होने पर फार्म-2 में इन्सोलमेंट सम्बन्धित सूचना भेजने बारे ।

महोदय,

मुझे निर्देश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्रमांक 3/7/2002-3एन0जी0आई0एस0 दिनांक 31-7-2012 (मूलपत्र दिनांक 29-10-2002) की ओर दिलाउं और सूचित करूं कि प्रायः यह देखने में आया है कि बहुत कम विभागों द्वारा फार्म-1 तथा 2 में इन्सोलमेंट से सम्बन्धित सूचना सरकार को भेजी जा रही है । इस सम्बन्ध में यह भी सूचित किया जाता है कि जिन विभागों द्वारा यह सूचना भेजी जा रही है वह जी0आई0एस0 की हिदायतों तथा नियमों को ध्यान में रखकर नहीं भेजी जाती है । आपके ध्यान में यह भी लाया जाता है कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाइन करने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती बारे जारी हिदायतें क्रमांक 1/5/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 13-10-1989 के पैरा-3 तथा ग्रुप “सी” “बी” “ए” के अधिकारियों/कर्मचारियों के सरकारी सेवा में ज्वाइन करने पर जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना हिदायतों क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2-1-1990 के तहत फार्म-1 में भरकर सरकार को भेजी जाए तथा उनकी सरकारी सेवा में नियुक्ति की तिथि भी दर्शाई जाए । अधिकारियों/कर्मचारियों के एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी में नियमित पदोन्नति होने पर उनकी जी0आई0एस0 की कटौती की सूचना सरकारी कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना-1985 के नियम 5(2) तथा हिदायतों क्रमांक 1/23/89-1एन0जी0आई0एस0 दिनांक 2-1-1990 के अंतर्गत [जनवरी (वर्षगांठ) से एक श्रेणी से दूसरी श्रेणी की जी0

आई०एस० की कटौती करके] फार्म-ग में भरकर सरकार को भेजी जाए ।

2 आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने अधीन सभी डी०डी०ओज० को निर्देश दें कि वे समय-समय पर फार्म-ग तथा फार्म-ग (फार्म संलग्न) में इन्होलमेंट सम्बन्धित सूचना अपने विभागाध्यक्षों को अवश्य भेजते रहें और विभाग यह सुनिश्चित करे कि सूचना चेक करने के उपरान्त ही सरकार को भेजी जाए तथा उक्त बताए नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। ताकि सरकारी सेवा में आने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों तथा नियमित तौर पर पदोन्नत किए गए अधिकारियों/कर्मचारियों के सही आंकड़ों तथा उनकी सही तरह से की गई जी०आई०एस० की कटौती का सरकार को पता चल सके।

अधीक्षक, एन०जी०आई०एस०

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

इसकी एक-एक प्रति सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक, एन०जी०आई०एस०

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

सेवा में

सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार तथा सभी प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार।

अशा० क्रमांक ३/७/२००२-३एन०जी०आई०एस० दिनांक, चण्डीगढ़ १६-२-२०१७

पृ० क्रमांक ३/७/२००२-३एन०जी०आई०एस० दिनांक, चण्डीगढ़ १६-२-२०१७

इसकी एक-एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1 सभी खजाना अधिकारी/सहायक खजाना अधिकारी, हरियाणा ।

2 प्रधान महालेखाकार (ए० एण्ड ई०), हरियाणा ।

अधीक्षक, एन०जी०आई०एस०

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।